उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-29/2019/418/92-2-2019-03टीएसी/2017(टीसी-3)

लखनऊ :: दिनांक:: 14 फरवरी 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

जनपद संतकबीरनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण व सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 30-11-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति व अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जे0पी0 मिश्रा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-संतकबीर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीर नगर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-29/2019/418(1)/92-2-2019 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रा0अ0वि0 एवं लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दि0 30-11-2018 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री अभयशंकर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**2-** जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर।

**3-** प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-संतकबीर नगर।

4- श्री जे0पी0 मिश्रा, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-संतकबीर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( वी0के0 सिंह )

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in